बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

आ० संख्या :–1/वि०–18/2010 पटना, दिनांक.....

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के पत्रांक–3089 दिनांक 14.10.2026 द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29.10.2026 को निर्धारित एक कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को नामित किया जाता है :–

(i). श्रीमती संजु कुमारी, सदस्य--सह–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण–3), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii). श्रीमती समिन असलम, सदस्य–सहायक अभियंता–2, अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण–2) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii). श्री अजय कुमार सिन्हा, बाह्य सदस्य, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(सौरभ राय)
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :–1/वि०–18/2010 पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपिः– निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :–1/वि०–18/2010 पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपिः– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्रीमती संजु कुमारी, सदस्य–सह–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण–3), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती समिन असलम, सदस्य–सहायक अभियंता–2, अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण–2) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार सिन्हा, बाह्य सदस्य, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :– 1/वि०–18/2010 -7828 (2) पटना, दिनांक 28.10.2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/10/2026

अवर सचिव (प्र०को०)